नारी आंदोलन के समक्ष चुनौतियां

साथियो, आजादी के 67 वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज महिलायें अत्याचार, उत्पीड़न, दमन, भेदभाव और शोषण की शिकार हैं। आये दिन समाचार पत्र बलात्कार और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की खबरों से भरे रहते हैं। दिल दहला देने वाली सामूहिक बलात्कार और हत्याओं की घटनायें हमें परेशान और उद्वेलित करती रहती हैं।

महिलायें न तो परिवार के अन्दर सुरक्षित हैं और न ही काम करने के स्थान पर सुरक्षित हैं। सड़क पर चलते समय, बस या ट्रेन में सफर करते समय वह हमेशा आतंक के साये में रहने के लिए अभिशप्त हैं।

नारी सशक्तिकरण के तमाम सरकारी दावों के बावजूद महिलाओं की व्यापक आबादी की स्थिति भयावह बनी हुई है। संविधान और कानूनी प्रावधानों में समानता की बातें और भेदभाव व हिंसा के विरूद्ध सजायें देने की बातें महज कागजी बन कर रह गयी हैं। राज्य के अभिन्न अंगों में, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया में नारी विरोधी शक्तियों की भरमार है। यदि कोई महिला थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है तो वह वहां भी बलात्कार की शिकार हो सकती है। विभिन्न आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस और सेना महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाती हैं। दलित और आबादी के दबे–कुचले हिस्सों की महिलायें न सिर्फ शोषण की शिकार हैं बल्कि उन्हें समाज के दबंग लोगों और पुलिस–प्रशासन द्वारा बलात्कार का शिकार होना पड़ता है। साम्प्रदायिक दंगों में महिलाओं को विशेषतौर पर निशाना बनाया जाता है।

यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब देश में उद्योगों का विकास हो रहा है। देश की आबादी के एक हिस्से में भारी समृद्धि आयी है। हमारे देश का शासक वर्ग इसे दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र घोषित करता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था शासक वर्गों द्वारा दुनिया की तीसरी या चौथे नम्बर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित की जाती है।

यह सही है कि महिलायें पहले की तुलना में ज्यादा शिक्षित हुई हैं, वे रोजगार में लगी हैं और कुछ महिलायें प्रशासनिक व राजनीतिक पदों पर विराजमान हैं। इस देश में महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न प्रदेशों में मुख्यमंत्री के पदों पर विराजमान रही हैं। लेकिन ये महिलायें महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं हैं बल्कि शासक वर्ग का हिस्सा हैं। ये महिलायें शासक वर्ग के शोषणकारी–दमनकारी तंत्र का हिस्सा हैं। ये जिस प्रकार से देश की व्यापक मजदूर–मेहनतकश आबादी के शोषण व उत्पीड़न–दमन के तंत्र को चलाती हैं उसी प्रकार से इनकी नीतियां भी व्यापक महिला आबादी के विरूद्ध भी होती है।

शासक वर्गों का हाल तो यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के तमाम दावों के बावजूद संसद और विधान सभाओं में इनका प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा है। हालांकि प्रतिनिधित्व बढ़ जाने से भी व्यापक मजदूर–मेहनतकश महिला आबादी की जिंदगी में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आयेगी। इसी प्रकार, हम ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों और जिला पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की असलियत जान सकते हैं। प्रधान–पति परिघटना की आम चर्चा वाली ये महिलायें शासक वर्ग के सत्ता आधार के विस्तार का उपकरण होती हैं। ये व्यापक मजदूर–मेहनतकश महिलाओं की प्रतिनिधि नहीं होती बल्कि उनके शोषण–उत्पीड़न का उपकरण होती हैं।

हम यहां की पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं की स्थिति को देख सकते हैं। इन पार्टियों में जहां बलात्कार के आरोपी सांसद, विधायक और यहां तक कि मंत्री भी होते हैं, वहां इन महिलाओं की स्थिति को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। देश के मंत्री के इस कथन से कि किसी जनजाति की महिला को एयर होस्टस की नौकरी इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि उसका चेहरा आकर्षक नहीं है, इससे उसके नारी विरोधी रुख को समझा जा सकता है। यदि कोई सेनाध्यक्ष नारियों की सेना में अधिकारी होने से इसलिए इंकार कर देता है कि इससे उसके अधीनस्थ पुरुष उसके आदेश को नहीं मानेंगे यह शासकों के बीच महिलाओं की स्थिति की परिचायक है।

पूंजीवादी राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति और उनकी भूमिका सतही व नाममात्र की है लेकिन वह जो भी है वह पूंजीवादी शोषण, दमन–उत्पीड़न का हिस्सा है। वह मजदूर–मेहनतकश महिला आबादी के हितों का प्रतिनिधित्व कतई नहीं करती।

अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और भी नगण्य है। हमारे देश की परम्परायें महिलाओं को सम्पत्ति में उत्तराधिकार का हिस्सा नहीं देतीं। परम्पराएं कानूनी अधिकारों के रास्ते में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन यह मामला तो सिर्फ सम्पत्तिशाली वर्गों तक सीमित है। अधिकांश सम्पत्तिहीन आबादी के लिए रोजगार का मामला ज्यादा व्यापक है। रोजगार के मामले में महिलाओं की स्थिति बेहद भेदभाव भरी है। यह सही है कि उद्योगों और सेवा क्षेत्र के विस्तार साथ महिलाओं की भारी संख्या घरेलू जीवन की चौहद्दी से बाहर आयी हैं। लेकिन यहां भी उनको सस्ते श्रम के रूप में देखा जाता है। अधिकांश महिलायें असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। कठिन श्रमसाध्य काम उनके हिस्से में आते हैं। वहां भी मजदूरी में उनके साथ भेदभाव होता है।

इस सबके बावजूद भी, रोजगार के क्षेत्र में भारत में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम है। विश्व आर्थिक मंच (दुनिया के विकसित पूंजीवादी देशों का मंच) ने 2010 में विश्व में लिंग भेद रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार दुनिया के 134 देशों में भारत का स्थान 112वां था। इस रिपोर्ट को अर्थव्यवस्था, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी स्वास्थ्य इत्यादि को ध्यान में रखकर प्रत्येक देश में पुरुषों और नारियों के बीच संसाधनों और अवसरों पर पहुंच के मामले में अंतर को माप कर तैयार किया गया था। इसी रिपोर्ट में आर्थिक भागीदारी और रोजगार के अवसरों के मामले में भारत में महिलाओं की स्थिति 128वें दर्जे पर थी। इसका मतलब यह है कि 134 देशों में सिर्फ 6 देश ऐसे थे जिनकी महिलाओं के रोजगार की स्थिति हमारे देश से खराब थी। ब्रिक्स के पांच देशों– ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका– में भारत की स्थिति सबसे पीछे है।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब है। 2006 में जारी की गई विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 15 वर्ष से ऊपर की 50 प्रतिशत लड़कियां निरक्षर है। यहां यह ध्यान रखने की बात है कि भारत सरकार उसको साक्षर मान लेती है जो अपने हस्ताक्षर कर सकती है। यह स्थिति सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं के बावजूद है।

सार्वजनिक क्षेत्र में स्थिति यह है कि कन्या भ्रूण हत्या, नवजात शिशु हत्या, जानबूझकर देखभाल न करने के कारण 5 वर्ष से कम की लड़कियों की मौत, दहेज हत्या, सम्मान में नाम पर की गई हत्यायें, जबरन व खतरनाक गर्भपात के जरिये होने वाली मौतों की संख्या प्रति वर्ष लाखों में है। बच्चे के जन्म लेने के समय की जानी वाली हत्याओं के मामले में हमारा देश दुनिया में सबसे आगे है। दहेज के कारण होने वाली हत्याओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। लांसेट नाम ब्रिटिश पत्रिका के 2009 में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया कि भारत में प्रत्येक वर्ष एक लाख 36 हजार महिलायें आग से जल कर मर जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनीसेफ की 2007 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर उसी उम्र के लड़कों की मृत्यु दर से 40 प्रतिशत ज्यादा है। 2011 में इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हारवर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक अध्ययन में बताया गया कि पारिवारिक हिंसा के कारण 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां, इसी उम्र के लड़कों की तुलना में 21 प्रतिशत ज्यादा मारी जाती हैं। एक वर्ष या इससे कम की उम्र में इनके मारे जाने का प्रतिशत बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाता है। इस अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में 6 वर्ष से कम उम्र की अनुमानतः 18 लाख से ज्यादा लड़कियां पारिवारिक हिंसा में मारी गयी है। इन सबके कारण, हमारे देश में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में भारी गिरावट आई है।

लिंग अनुपात में गिरावट भी एक कारण है जिसने महिलाओं की तस्करी को जन्म दिया है। महिलाओं की तस्करी का मूल कारण तो वेश्यावृत्ति के लिए उनका बेचना रहा है लेकिन लिंग अनुपात में गिरावट ने महिलाओं की

तस्करी में बढ़ोत्तरी की है। महिलाओं का अपहरण करके दलालों के जरिए उन इलाकों में बेच दिया जाता है जहां लड़कियों की आबादी कम है। इस अपहरण में कई बार परिवार के सदस्य हिस्सा लेते हैं। अपहरण के अलावा आर्थिक अभाव परिवार को लड़की को बेचने के लिए मजबूर करता है। ये अपहृत या बेची गयी लड़कियां अधिकांशतः घरेलू दास हो जाती हैं। इनका यौन शोषण परिवार के अन्य सदस्य भी करते हैं। एक बार मां बनने के बाद, इनमें से कइयों को दुबारा और फिर कई बार बेचने का सिलसिला चल निकलता है।

पूंजीवादी मीडिया में, फिल्मों और टी. वी. कार्यक्रमों में नारी शरीर को उपभोग सामग्री के बतौर पेश किया जाता है। विज्ञापनों में नारी को एक यौन वस्तु के रूप में पेश करके उसकी गरिमा को गिराया जाता है। इसका सबसे वीभत्स रूप पोर्नोग्राफी के रूप में सामने आता है। इसमें न सिर्फ नारी को अवमानित किया जाता है बल्कि उसकी सारी संवेदनओं को कुचलकर एक पशु के बतौर पेश किया जाता है। उसकी निजता का सार्वजनिक प्रदर्शन करके उसका प्रचार किया जाता है। इन प्रदर्शनों के जरिये करोड़ों–अरबों रुपयों के मुनाफे का उद्योग फल–फूल रहा है और नारी शरीर को अकूत मुनाफे का जरिया बनाया जा रहा है। पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति, पूंजीवाद को ऐसा अमानवीय बना देती है जो नारी गरिमा को पूर्णतया कुचलकर रख देता है। इसी के साथ ही, सौन्दर्य प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं में नारी शरीर को अवमानित किया जाता है। इसमें अंतराष्ट्रीय पूंजीपतियों और देशी पूंजीपतियों की पूरी मिलीभगत रहती है। ये दोनों उससे मुनाफा कमाते हैं। चरम पतनशील पूंजीवादी संस्कृति पूर्णतया नारी–विरोधी हैं। पूंजीवादी पतनशील संस्कृति की शिकार देश की व्यापक युवा आबादी हो रही है। वे इसको बिना किसी आलोचना के उसे हू–ब–हू स्वीकार कर लेते हैं। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं।

जहां एक तरफ पूंजीवादी मीडिया व फिल्मों में नारी के शरीर को दिखाया व बेचा जाता है, वहीं दूसरी तरफ सती–सावित्री, सीता और अन्य परम्परागत सामंती मूल्यों और देवियों को भी स्थापित किया जाता है। प्राचीन भारतीय परिवार, संस्कृति और सभ्यता को भी प्रचारित–प्रसारित किया जाता है जो और कुछ नहीं बल्कि मध्ययुगीन सामंती मूल्यों को स्थापित किया जाना है।

आखिर यह सब आज इक्कीसवीं सदी में क्यों हो रहा है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज नारी की दोयम दर्जे की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है?

यह हम जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की तभी हो गयी थी जब समाज में वर्गों का उदय हुआ और समाज थोड़े से शोषकों और अधिकांश शोषितों में तब्दील हो गया। इसके पहले समानता की स्थिति थी। नारी और पुरुषों के बीच श्रम विभाजन तो था लेकिन इसकी वजह से कोई गैर बराबरी नहीं थी। वर्गों के उदय के साथ, समाज के शोषकों और शोषितों में बंटने के साथ परिवार नामक संस्था का भी उदय हुआ और उसमें पुरुषों का आधिपत्य हो गया। यह आधिपत्य अलग–अलग रूपों में हजारों वर्षों से जारी रहा है और हर पूर्ववर्ती समाज में नारी की अधीनता की स्थति रही है।

पूंजीवाद के उदय के साथ समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के नारे के आने के बाद जीवन के हर क्षेत्र में नारी समानता का मामला भी आया। लेकिन पूंजीवाद ने जैसे ही अपने को स्थापित कर लिया, वैसे ही उसने अपने जनतांत्रिक चोगे को उतार फेंका और अन्य जनवादी मांगों की तरह ही नारी समानता की जनवादी मांग से पल्ला झाड़ लिया। उसने पल्ला ही नहीं झाड़ा बल्कि वह इसका विरोधी हो गया। सामंती विशेषाधिकार से लड़ने के लिए उसे जनवाद की जरूरत थी। जैसे ही यह विशेषाधिकार समाप्त हो गया, वह जनवाद का, नारी समानता का विरोधी हो गया। यह प्रक्रिया कमोबेश रूप में विश्व व्यापी रही। इसके बाद तो शोषित–उत्पीड़ित वर्गों तबकों ने ही पूंजीपति वर्ग से लड़–भिड़ कर अपने लिए जनवादी अधिकार हासिल किये हैं। बीते समय में जनवाद का जो भी विस्तार हुआ है। वह शोषित–उत्पीड़ितों के संघर्षों के कारण ही।

लेकिन पूंजीवाद ने वह जमीन दे दी जिससे नारी समानता के लिए आंदोलन खड़ा हो सके। पूंजीवाद के पहले के वर्ग समाजों में नारी समानता या किसी भी तरह की समानता या स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने की भौतिक जमीन ही नहीं थी। इसलिए पूंजीवाद के उदय के बाद नारी आंदोलन खड़े होने शुरु हो गये। पहले मध्यम वर्गीय महिलाओं के आंदोलन शुरु हुए। वे शिक्षा में, रोजगार के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ समानता के सवाल पर आंदोलन में आयीं। लेकिन व्यापक आंदोलन तभी शुरु हुआ जब मताधिकार के सवाल पर और राजनीतिक पदों पर महिलाओं को चुने जाने के सवाल पर महिलायें खड़ी होने लगीं। यह वह समय था जब महिलायें बड़े पैमाने पर कल–कारखानों में मजदूरों के बतौर काम करने जाने लगीं। वे समान काम के लिए समान वेतन और उचित काम के दिन के लिए उचित मजदूरी के सवाल पर मजदूर आंदोलन में सक्रिय होने लगीं थीं। मताधिकार आंदोलन को व्यापकता महिला मजदूरों के इसमें शामिल होने के बाद ही मिली थी। बल्कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ जुड़ कर महिला मजदूरों ने मताधिकार आंदोलन को निर्णायक गति दी।

यहीं से नारी आंदोलन की दो अलग–अलग धारायें हो गयीं। एक, मध्यम वर्गीय नारी आंदोलन था जो सिर्फ अपने को पूंजीवादी व्यवस्था के दायरे में ही मताधिकार आंदोलन और अन्य नारी अधिकारों के सवालों तक सीमित रखता था। दूसरा इससे बहुत आगे जाकर सोचने व करने वाली महिला मजदूरों की धारा थी जो मताधिकार आंदोलन व अन्य नारी समानता की मांगों को पूंजीवाद के खात्मे और समाजवाद की स्थापना के साथ देखती थी। इन दोनों धाराओं के बीच एक मोर्चा भी था और वे बुनियादी दृष्टिकोण के मामले में एक–दूसरे के विरूद्ध भी थीं। पहली धारा पुरुषों के विरूद्ध हर क्षेत्र में समानता पर अपने को केन्द्रित करती थी जबकि दूसरी धारा पूंजीवाद के विरूद्ध पुरुषों और महिला मजदूरों की सामूहिक लड़ाई के साथ नारी समानता के लिए संघर्ष को अपना परिप्रेक्ष्य बनाती थीं।

इन दो परिप्रेक्ष्यों के आधार पर नारीवादी और नारी मुक्ति आंदोलन की दो धारायें बनीं और विकसित हुईं।

हमारे देश में नारी आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई के दौरान हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत के विरूद्ध लड़ते हुए महिलाओं ने नारी अधिकारों की बात करना शुरु किया था। पहले उच्च व मध्यमवर्गीय महिलाओं ने नारी शिक्षा और अन्य कुरीतियों के विरूद्ध संघर्ष करना शुरु किया। इसके बाद जब व्यापक मजदूर और किसान आंदोलन हुए तो इसमें बढ़–चढ़ कर भागीदारी करने वाली महिलाओं ने आगे चलकर नारी मुक्ति आंदोलन की आधारशिला रखी।

आजादी मिलने के बाद, भारतीय पूंजीपति वर्ग ने जो संविधान बनाया उसमें नारी को समान अधिकार देने की बात की। उसने सार्विक बालिग मताधिकार दिया। लेकिन इसी के साथ ही उसने राजनीतिक अर्थव्यवस्था और समाज में सामंती शक्तियों के साथ गठजोड़ कायम किया। क्रमिक विकास के जरिये सामंती शक्तियों को पूंजीवादी शक्तियों में रूपांतरित होने का मौका दिया। इन सब ने पिछड़े मूल्यों–मान्यताओं और चलनों को जारी रहने दिया। इसने सामंती तौर–तरीकों, मूल्य–मान्यताओं और चलनों को उसी हद तक तोड़ने में भूमिका निभाई, जिस हद तक पूंजीवादी शासनों को चलाने के लिए उसकी जरूरत थी। इसी प्रकार, इसने साम्राज्यवाद के साथ समझौता करके, भारत में पूंजीवादी विकास का जो रास्ता चुना था, उसमें इसने अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को भी धीरे–धीरे करके पूरा किया और इसमें साम्राज्यवादियों के कनिष्ठ साझेदार के बतौर अपनी भूमिका बनाई। इस तरह से भारतीय शासक वर्ग ने पूंजीवादी विकास व अपने सत्ता आधार को विकसित करने के लिए अपनी विकास योजनाओं और तमाम नीतियों को लागू किया।

विश्व परिस्थितियों में आये बदलाव और अपनी जरूरत के चलते इसने 1980 व 90 के दशक में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्विकरण की नीतियां लागू की। इसने जहां पहले के तमाम सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र से अपने हाथ खींचे वहीं इसने सरकारी कारखानों का निजीकरण किया। विदेशी पूंजी को यहां आने की खुली छूट दी गयी। पुरानी तमाम रोकों और अवरोधों को खत्म कर दिया गया। वैश्विक बाजार में भारत का पूंजीपति वर्ग एक छोटे

प्रतिस्पर्धी के तौर पर खड़ा हो गया। यहां जंगलों की जमीनों से आदिवासियों को उजाड़कर विदेशी व देशी पूंजीपतियों के हवाले किया गया। किसानों की जमीनों से उन्हें बेदखल किया गया और बड़े–बड़े विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यात निदेशित क्षेत्रों में उद्योग खड़े किये गये। इन क्षेत्रों में खड़े उद्योगों में संगठित होने के अधिकार से भी मजदूरों व कर्मचारियों को वंचित किया गया। इन जगहों में भारी मात्रा में महिलायें कार्यरत हैं।

भारतीय पूंजीवाद ने परम्परागत पिछड़े सामंती तौर–तरीके व मूल्यों व संस्थाओं का इस्तेमाल करने के साथ ही साथ आधुनिक पतनशील पूंजीवादी संस्थाओं, मूल्यों व तौर–तरीकों का इस्तेमाल करके व्यापक नारी आबादी के भयंकर शोषण व उत्पीड़न को न सिर्फ जारी रखा बल्कि उसको बढ़ाया।

इस पूंजीवाद को इस काम में भारतीय राजसत्ता का पूरा सहयोग मिला बल्कि यह कहा जाये कि भारतीय राजसत्ता इसी पूंजीवादी व्यवस्था को संचालित करने का उपकरण है तो ज्यादा सटीक बात होगी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय राजसत्ता के विभिन्न अंगों में नारी–विरोधी लोगों की भरमार है। इससे नारी के पक्ष में बने तमाम कानूनों और प्रावधानों की कीमत उस कागज के बराबर भी नहीं रह गयी, जिस पर वे लिखे हुए हैं। घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानूनी प्रावधान, दहेज हत्या से संबंधित कानून या नारी से भेदभाव रखने वाले सभी कानूनों का वास्तविक जीवन में विशेषतौर पर मजदूर–मेहनतकश महिलाओं के जीवन में कोई अर्थ नहीं है। हां सम्पत्तिशाली मध्य वर्गीय महिलाओं के जीवन में इनका कुछ अर्थ है। पूंजीपति वर्ग की महिलाओं की तो बात ही अलग है।

इस प्रकर, हम देखते हैं कि पूंजीवाद ने किस तरह यहां की व्यापक महिला आबादी को भयंकर स्थिति में धकेल दिया है और भारतीय राज सत्ता के विभिन्न अंगों ने इसमें बढ़–चढ़ कर भूमिका निभायी है।

पूंजीवादी मीडिया में नारी शरीर के प्रदर्शन, पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति के जरिये कैसे एक विशाल मुनाफे का उद्योग खड़ा किया है और शासक वर्ग इस उद्योग के जरिये समूची युवा पीढ़ी को उनकी जिन्दगी के असली मूलभूत सवालों से जीविका और रोजगार के सवालों से, पूंजीवादी लूट और उत्पीड़न के सवालों से भटका कर महज यौन तृप्ति के भोंड़े सवालों में लगा दिये जाने की कोशिश कर रहा है। वह इस कार्य में फिलहाल सफल भी हो रहा है। यह पूंजीवादी शोषण के खिलाफ संघर्ष करने की चेतना को कुंद करता है।

इसी के साथ ही, वह परम्पराओं और रीति–रिवाजों व चलनों का इस्तेमाल महिलाओं के उत्पीड़न को जारी रखने के औजार के बतौर कर रहा है। महान मनु के ये आप्त वचन यहां की व्यापक महिला आबादी के बीच गहराई से घर किये हुए हैं कि बाल्य अवस्था में नारी पिता के अधीन होती है, युवावस्था में उसे पति के अधीन रहना होता है और बुढ़ापे में या विधवा हो जाने पर उसे पुत्र के अधीन रहना होता है। पति चाहे कितना भी निकम्मा क्यों न हो पत्नी को आजीवन उसकी सेवा करनी होती है। कई पुराने धर्मिक ग्रंथों में कहा गया है और हजारों सालों से महिलायों में यह धारणा बैठा दी गयी है कि वे लोभी, आलसी, सत्ता की भूखी, धोखेबाज, नुकसान पहुंचाने वाली और बदला लेने वाली होती हैं हैं और यह उनका स्वभाव होता है। कई धार्मिक ग्रंथों में पुरुषों को सलाह दी गई है कि यदि वे परिवार को भयंकर खतरे में डालने से बचाना चाहते हैं तो वे महिलाओं पर हर–हमेशा चौकसी बरतें। ये धारणायें व्यापक महिलाओं के अन्दर गहराई से जड़ जमाये हुए हैं। इन धारणाओं को व्यापक महिला आबादी के अन्दर इतनी गहराई से बिठा दिया गया है कि वे खुद ही अपना अवमूल्यन कर लेती हैं और अधीनता की स्थिति को स्वीकार कर लेती हैं। शासक वर्ग लगातार महिलाओं के इन गुणों को प्रचारित–प्रसारित करता रहता है कि वे सहनशील होती हैं और भावुक होती है। इसका असर यह होता है कि वे टकराने से बचती हैं और खून का घूंट पीकर हर तरह के अपमान को सहती हैं। वे अपने मौजूदा अमानवीय, उत्पीड़न व दमन से भरे जीवन को अपना भाग्य मान लेती हैं। यह इस कदर होता है कि कुछ यह मानकर अपने को समझा लेती हैं कि मानों वे उत्पीड़न की शिकार ही न हों।

मौजूदा आणविक परिवार उनके इस उत्पीड़न को बनाये रखने और उनकी अधीनता की स्थिति को बरकरार रखने की एक बहुत बड़ी संस्था है। वैसे तो निजी सम्पत्ति के उदय के साथ परिवार नाम की संस्था हर शोषणकारी व्यवस्था के लिए आधार का काम करती है। यह मूलतः यथास्थितिवादी संस्था रही है। जैसे–जैसे उत्पादन प्रणाली बदलती गई वैसे–वैसे परिवार का स्वरूप भी बदला। लेकिन इसके द्वारा हर व्यवस्था की आधारभूत इकाई की भूमिका निभाई जाती रही। पूंजीवाद के पहले के परिवार उत्पादन की मूलभूत इकाई थे। इसीलिए उनकी सामाजिक उत्पादन में भूमिका थी। उस समय के परिवार के भीतर महिलाओं द्वारा किये गये कार्य सामाजिक तौर पर आवश्यक कार्य थे। लेकिन आज के पूंजीवादी परिवार नामक इकाई उत्पादन के क्षेत्र में कोई सामाजिक भूमिका नहीं निभाता व अभी भी उपभोग के मामले में बुनियादी इकाई बनी हुई है। यह मुख्यतः व्यापक मजदूर व मेहनतकश आबादी के लिये स्थिति आधुनिक पूंजीवादी उद्योगों में बनी हुई है जहां पुरुष और महिला अलग–अलग उद्योगों में एक–दूसरे से अलग–अलग विभागों में काम करती हैं। लेकिन घर आकर घरेलू काम– खाना बनाना, कपड़े धोना, मकान या कमरे की सफाई रखने की जिम्मेदारी के साथ बच्चों के लालन–पालन– की जिम्मेदारी भी महिलाओं के जिम्मे होती है। जो महिलायें बाहर काम नहीं करती, उनके घरेलू काम की कीमत सिर्फ उनके खाना खाने और कपड़ा पहनने तक ही सीमित होती है। इसके बावजूद पति यह समझता है कि वह पत्नी और बच्चों की देखभाल व जीवनयापन कर रहा है। पति अपने को स्वामी समझता है और पत्नी को अपने मनोरंजन और बच्चे पैदा करने और उनकी देखभाल करने के साधन के बतौर देखता है। वह पत्नी को अपनी सम्पत्ति समझता है।

इस स्थिति को बनाये रखने में पूंजीवाद का फायदा है। पूंजीपति वर्ग के लिए परिवार की पवित्रता या उसकी खुशहाली का कोई अर्थ नहीं है। वह मौजूदा आणविक परिवार नामक इकाई वर्ग का इस्तेमाल की अधिकाधिक मुनाफा कमाने में रुचि रखता है। पूंजीपति मजदूर की मजदूरी सिर्फ उतनी देता है जिससे कि मजदूर और उसके आश्रित जिंदा रहें और वह दूसरे दिन फिर से काम पर आ सके। क्योंकि यह धारणा है कि परिवार को चलाने की मुख्य जिम्मेदारी पुरुष की होती है। इससे महिला मजदूरों की मजदूरों की मजदूरी को पुरुषों की मजदूरी के पूरक के तौर पर माना जाता है। इसलिए पूंजीपति वर्ग द्वारा दी गई मजदूरी में उसके परिवार के जीविकोपार्जन शामिल होते हैं। इसमें मजदूरों की नयी पीढ़ी तैयार होने का खर्च भी शामिल होता है। यानी दो अर्थों में, एक तो दूसरे दिन काम पर आने के लिए मजदूर को शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार रहने और उसकी पत्नी और बच्चों के जिंदा रहने के लिए आवश्यक साधन देने के बतौर मजदूरी होती है। लेकिन जब पूंजीपति वर्ग अपने मुनाफे को अधिकाधिक करने के अभियान में इतनी मजदूरी नहीं देता जो मजदूर के पूरे परिवार को भरण–पोषण करने लायक हो तो मजदूर की पत्नी को भी वह श्रम के बाजार में धकेल देता है।

परिवार नामक इकाई पूंजीपति वर्ग के लिए लाभप्रद है क्योंकि वह मजदरू के परिवार के जीवन–यापन की जिम्मेदारी से सीधे बच जाता है। वह यह जिम्मेदारी आणविक परिवार के मत्थे डाल देता है। बच्चों के लालन–पालन, घरेलू काम की जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर डाल कर मजदूर भी अपने को परिवार के भीतर मालिक के बतौर स्थापित कर लेता है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परिवार नामक आणविक इकाई के जरिये पूंजीपति वर्ग अपना मुनाफा बढ़ाता है। जब वह श्रम के बाजार में मजदूर की पत्नी को भी उतारता है तो वह इसका इस्तेमाल मजदूरी कम करने के लिए करता है। पुरुष मजदूर सोचते हैं कि महिला मजदूरों की वजह से उनकी मजदूरी कम हुई है या वे काम से बाहर किये गये हैं। पूंजीपति वर्ग एक तरफ तो मजदूरी कम करने में महिला मजदूरों का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ मजदूर आंदोलन में फूट डालने, उसको कमजोर करने में इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है।

मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों की व्यापक आबादी और बहुत सारे निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारों में या धारणा बड़े पैमाने पर प्रचलित है कि महिलाओं को बाहर काम पर नहीं जाना चाहिए। उन्हें घर के भीतर ही रहना

चाहिए। घरेलू काम और बच्चे पैदा करने, उनका लालन–पालन करने तथा पति की सेवा तक उनका जीवन सीमित रहना चाहिए। आर्थिक बाध्यतावश अगर महिलाओं को बाहर काम पर जाने को स्वीकार कर लिया जा रहा है तो भी सोच में यह गहराई से अंकित है कि महिलाओं का नारित्व परिवार की सेवा करने में है। यह अधिकांश महिलाओं में भी गहरी जड़ जमाये हुए है कि उनका असली नारित्व मां बनने में है। मातृत्व का विशेष गुण नारी के लिए मौजूदा व्यवस्था में अभिशाप बन गया है। पुरुषों की पहचान उसके रोजगार से होती है और नारी की पहचान उसके पति और पुत्र से। यह धारणा इतनी गहराई से बैठी हुई है कि यदि किसी महिला के संतान नहीं होती तो उसे हेय दृष्टि से देखकर उसकी अवमानना की जाती है। परिवार नाम की संस्था किसी भी महिला को अविवाहित रहने व बच्चा पैदा न करने की इजाजत नहीं देती। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसे अपमान झेलना पड़ता है।

पूंजीपति वर्ग और उसकी संस्थायें इसीलिए परिवार नामक उत्पीड़नकारी संस्था का गुणगान करते हैं और नारी को दोयम दर्जे पर रखने वाली इस संस्था के बने परम्परागत मूल्यों, चलनों और तौर–तरीकों को बनाये रखने के लिए तरह–तरह से प्रचार–प्रसार करती है।

परिवार नामक इस मौजूदा उत्पीड़नकारी संस्था के खात्मे के बगैर वास्तविक अर्थों में नारी मुक्ति नहीं हो सकती और परिवार नामक यह उत्पीड़नकारी संस्था बगैर पूंजीवादी व्यवस्था के खात्मे के समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए वास्तविक नारी मुक्ति आंदोलन पूंजीवाद के खात्मे और समाजवाद की स्थापना के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। नारी आंदोलन के वास्तविक अर्थों में मुक्तिदायी कार्यभार स्वभावतः समाज के तमाम मेहनतकश वर्गों विशेष तौर पर मजदूर वर्ग के संघर्षों के साथ एकजुट होकर पूंजीवाद के खात्मे से जुड़े हुए हैं।

यहीं नारी आंदोलन के समक्ष तरह–तरह की चुनौतियां सामने दिखाई पड़ती हैं।

एक तरफ, नारी आंदोलन के भीतर नारीवादी आंदोलन की धारा है। इस धारा में कई शाखायें और उप–शाखायें हैं। इस धारा के अनुसार, नारी समुदाय का असली दुश्मन समूचा पुरुष समुदाय है। इस प्रकार, ये भारतीय समाज के सभी पुरुषों का नारी समुदाय का दुश्मन और समूचे नारी समुदाय को अपना मित्र समझते हैं। यह धारा पूंजीवादी व्यवस्था को दुश्मन न मानकर समूचे पुरुष समुदाय और पितृसत्ता को दुश्मन मानती है। पितृसत्ता को यह उत्पादन से इतर मानती हैं या कभी–कभी उन्हें पितृसत्तात्मक उत्पादन संबंध कहती हैं। इस धारा के अनुसार, सारी नारी उत्पीड़ित हैं। वे पूंजीपति वर्ग की महिलाओं को उसी तरह उत्पीड़ित मानती हैं जिस प्रकार मजदूर व अन्य मेहनतकश वर्ग की महिलाओं को उत्पीड़ित मानती हैं। यह धारा वस्तुतः चंद पुरुष विरोधी नारीवादी महिलाओं की धारा है, जिसका समाज में न तो आधार है और न इनके पास नये समाज का प्रारूप है। यह धारा एक पंथ में सिमट जाने के लिए अभिशप्त है।

एन. जी. ओ. (गैर–सरकारी संगठन) से संचालित नारी संगठन

हमारे देश में साम्राज्यवादी संस्थाओं और देशी पूंजीपतियों व सरकारों से निदेशित व अनुदान प्राप्त गैर–सरकारी संगठनों की भरमार है। ये तरह–तरह के नारी संगठन भी बनाये हुए हैं। इन संगठनों का मकसद देश के अलग–अलग हिस्सों में महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों के इर्द–गिर्द उनको संगठित करके एक हद तक आंदोलनों में उतारकर उसे इस पूंजीवादी व्यवस्था की चौहद्दी में बांधकर रखना है और वास्तविक अर्थों में नारी मुक्ति आंदोलन के रास्ते में बाधायें खड़ी करना है।

ये नारी संगठन साम्राज्यवादी दाता एजेंसियों के एजेण्डों के अनुसार और भारतीय शासक वर्ग के हितों के अंतर्गत काम करते हैं। कभी–कभी यह लगता है कि ये नारी आंदोलन के विभिन्न मुद्दों को उठाकर सही अर्थों में कुछ

करना चाहते हैं लेकिन इनका कुछ करना या तो साम्राज्यवादियों के एजेण्डे को पूरा करने के लिए होता है या शुद्ध रूप से दाता एजेंसियों से आर्थिक लाभ लेने के लिए। इन नारी संगठनों का जाल समूचे देश में फैला हुआ है।

विभिन्न पूंजीवादी पार्टियों से जुड़े नारी संगठन

विभिन्न पूंजीवादी पार्टियों से जुड़े नारी संगठन वस्तुतः महिलाओं के बीच इन पार्टियों के आधार को बनाने का उपकरण हैं और उन पूंजीवादी महिलाओं को सत्ता या राजनीतिक दायरे में लाने के प्रयास हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था के शोषणकारी–दमनकारी और नारी विरोधी चरित्र को न्यायसंगत ठहराने की और उनको औचित्य प्रदान करने में लगी हुई हैं तथा सत्ता प्रतिष्ठानों के किसी हिस्से तक पहुंचने के लिए लालायित हैं। इनका नारी मुक्ति आंदोलन से पूर्णतः विरोध रहता है।

साम्प्रदायिक हिन्दुत्ववादी नारी संगठन

सत्ताधारी भाजपा के भारतीय महिला मोर्चा के अलावा आर. एस. एस से और विभिन्न हिन्दुत्ववादी संगठनों से जुड़े तहर–तरह के साम्प्रदायिक नारी संगठन हैं जो समाज में हिन्दुत्ववादी शासन लाना चाहते हैं। ये संगठन घोर प्रतिक्रियावादी हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरूद्ध जहर उगलते रहते हैं। ये महिलाओं के लिए ड्रैस कोड लागू कराने की मुहिम में आगे रहते हैं। ये कभी लव जेहाद के खिलाफ जेहाद छेड़ने में तो कभी वैलेन्टाइन डे के विरोध में हिन्दुत्ववादी ब्रिगेड के घनिष्ठ सहयोगी होते हैं। साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर ये अपना आधार विस्तृत करते हैं और नारी आंदोलन के किसी भी आधुनिक मुक्तिकामी मुहिम के विरोधी हैं।

नरेन्द्र मोदी सरकार के आने के बाद साम्प्रदायिक शक्तियां जिस तरीके से विद्वेष फैला रही हैं, उसमें ये नारी संगठन उनके साझीदार होकर नारी जगत को मध्ययुगीन बेड़ियों में बांधने की मुहिम में लगे हुए हैं।

दलितवादी नारी संगठन

दलित नारी संगठन दलित नारियों की विशेष उत्पीड़ित–शोषित स्थिति को आधार बनाकर बनाये गये हैं। लेकिन इन संगठनों के अनुसार दलितों के भीतर हुए वर्गीय ध्रुवीकरण की प्रक्रिया का कोई अर्थ नहीं है। वे दलित नारियों में शासक वर्ग की दलित नारियों सहित व्यापक मध्यम वर्ग की सभी नारियों को इसमें शामिल करती हैं। इस तरीके से गैर दलित नारियों में मजदूर–मेहनतकश वर्ग से आने वाली नारियों विरोध में खड़ी हो जाती हैं। इन संगठनों की जहां तक दलित नारियों के उत्पीड़न व दमन के विरुद्ध संघर्ष करने की दिशा है, वहां तक ये ठीक हैं, लेकिन जैसे ही इस संघर्ष में दुश्मन चिन्हित करके उसके विरुद्ध संयुक्त मोर्चे बनाने और मुख्य दुश्मन पर प्रहार करने की बात आती है, ये पूंजीपति वर्ग के साथ जा खड़े होते हैं। ये संगठन ब्राह्मणवाद को मुख्य निशाना मानते हैं और यह दृष्टिकोण उन्हें पूंजीवाद को और मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था का पक्षपोषक बना देता है।

विभिन्न राष्ट्रीयताओं के नारी संगठन

अलग–अलग उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं ने अपने–अपने नारी संगठन बनाये हैं। ये उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं के लोगों पर हो रहे दमन व उत्पीड़िन को लेकर संघर्ष में नारियों की भूमिका को निभाने के लिए संघर्षरत्त रहते हैं। लेकिन इनका संकीर्ण राष्ट्रीयतावादी नजरिया इनकी नारी मुक्ति की दृष्टि को भी सीमित करता है और ये समग्र रूप से नारी मुक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य को नहीं विकसित करते। अतः इनकी लड़ाई भी पूंजीवादी दायरे की लड़ाई बनकर रह जाती है।

संसदवादी वामपंथियों के नारी संगठन

संसदवादी वामपंथियों के नारी संगठन व्यापक मजदूरों, किसानों खेत मजदूरों और अन्य उत्पीड़ित हिस्सों की नारियों के बीच व्यापक आधार रखते हैं। इनके व्यापक आधार के कारण मजदूर मेहनतकश महिलाओं के संघर्षों में उनकी भूमिका होती है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़कर समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के परिप्रेक्ष्य को सचेत तौर पर छोड़ने के बाद इन नारी संगठनों का नेतृत्व महिलाओं के अन्दर मुक्ति की चेतना पैदा करने की कोशिश नहीं करता। ये संगठन आम तौर पर उनकी रोज–ब–रोज संघर्षों और कुछ अनुष्ठानिक राजनीतिक कार्यक्रमों तक अपने को सीमित रखते हैं। इस तरह से ये संगठन मजदूर–मेहनतकश महिलाओं के संघर्षों को पूंजीवाद विरोधी व्यवस्था परिवर्तन के संघर्ष में तब्दील करने या इस शक्ति का इस्तेमाल क्रांतिकारी कदमों तक पहुंचाने के लिए नहीं करते। ये पूंजीवादी व्यवस्था में अपने नेतृत्वकारी समूहों को एक विशेषाधिकार प्राप्त हिस्सा बनाने के लिए अपने जनाधार का इस्तेमाल करते हैं।

नारी मुक्ति के लिए संघर्षरत क्रांतिकारी संगठन

क्रांतिकारी नारी संगठनों की भूमिका समाज में वास्तविक नारी मुक्ति आंदोलन खड़ा करने की हो सकती है। लेकिन भारतीय पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में ज्यादातर की गलत समझ के कारण ऐसे संगठन नारी मुक्ति का सही परिप्रेक्ष्य पेश नहीं कर पाते। व्यापक मजदूर महिलाओं के बीच न तो इनका कोई काम है और न वे इसकी दृष्टि ही रखते हैं। ये भारतीय समाज के बारे में अपने गलत विश्लेषण के कारण नारी आंदोलन को समाज के आदिवासी इलाकों और पिछड़ी आबादी में केन्द्रित करते हैं। नारी मुक्ति आंदोलन के भीतर ये पूंजीपति वर्ग के एक हिस्से की प्रगतिशील भूमिका देखते हैं। ये उसे अपना सहयोगी मानते हैं। इसलिए गलत परिप्रेक्ष्य के कारण ये अपनी भावना में क्रांतिकारी होने के बावजूद सही अर्थों में नारी आंदोलन खड़ा करने में असमर्थ हैं।

इसके अलावा, अल्पसंख्यकों के नारी संगठन, अलग–अलग सामाजिक मुद्दों पर बने नारी संगठन व पर्यावरण विनाश से बचाने के लिए बने नारी संगठन हैं जो अपने परिप्रेक्ष्य के चलते समूची पूंजीवादी व्यवस्था के दायरे में चलने वाले सुधारवादी नारी संगठन हैं। कुछ विशुद्ध सुधारवादी नारी संगठनों के दायरे में चलने वाले नारी संगठन हैं। नारियों के आत्म मदद के समूह हैं जो सरकारी योजनाओं के बतौर सुधारवादी उपायों के बतौर चलते हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि नारी आंदोलन के समक्ष चुनौतियां कितनी व्यापक हैं।

सर्वोपरि चुनौती यह है कि जब तक पूंजीवाद को निशाना नहीं बनाया जाता, तब तक वास्तविक अर्थों में नारी मुक्ति आंदोलन नहीं विकसित किया जा सकता। यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि मौजूदा समाज का सबसे बुनियादी अंतरविरोध यह है कि उत्पादन तो सामाजिक तौर पर होता है लेकिन हस्तगतकरण निजी होता है। यह पूंजीवाद का बुनियादी अंतरविरोध है। यहां एक तरफ उत्पादन के साधनों का मालिक पूंजीपति वर्ग है और दूसरी

तरफ उत्पादन के साधनों से वंचित व्यापक मजदूर आबादी है। जब तक यह बुनियादी अंतरविरोध हल नहीं होता तब तक नारी मुक्ति वास्तविक अर्थों में नहीं हो सकती।

हमारी सभी पहचानें और संघर्ष इसी बुनियादी अंतरविरोध के हल होने से जुड़ी हुई हैं। इसलिए यदि कोई नारी संगठन इस बुनियादी अंतरविरोध को हल करने का परिप्रेक्ष्य सामने नहीं रखता तो देर–सवेर वह इसी पूंजीवादी व्यवस्था को बनाये रखने का उपकरण के बतौर बन कर रह जायेगा।

हमारी दीर्घकालिक चुनौती सबसे बड़ी यही है। यह विभिन्न नारी संगठनों के साथ हमारे अलगाव को दर्शाती है। हम प्रगतिशील महिला संगठन के लोग इससे कम कुछ नहीं चाहते। यही वह आधारशिला है जिस पर खड़े होकर हम नारी मुक्ति आंदोलन की नींव को रखना चाहते हैं।

लेकिन इस दीर्घकालिक चुनौती से हमें वैचारिक–राजनीतिक धरातल पर संघर्ष करना है। इस वैचारिक राजनीतिक संघर्ष के दौरान हमें व्यापक नारी आबादी के दैनंदिन संघर्षों में उतरना है। उनको रोज–ब–रोज के संघर्षों में उतारने के लिए विभिन्न नारी संगठनों के साथ हमें एकता भी कायम करनी होगी। यह एकता संयुक्त मोर्चे के बतौर हो सकती है और उसको होना होगा। स्वाभाविक है कि इस संयुक्त मार्चे के भीतर एकता भी होगी और संघर्ष भी होगा। संयुक्त मोर्चा बनाते समय हम अपनी पहलकदमी और स्वतंत्रता अपने पास रखेंगे। जैसा कि सभी पुराने संगठन कराना चाहेंगे। यह हमारे समक्ष दूसरी चुनौती है।

आज हम देख रहे हैं कि साम्राज्यवादी, विशेषतौर पर अमेरिकी साम्राज्यवादी व उसके यूरोपीय सहयोगी दुनिया के कोने–कोने में प्रतिक्रियावादी सत्ताओं से मिलकर दखल दे रहे हैं। जनता पर युद्ध थोप रहे हैं। वे पश्चिम एशिया में, उक्रेन में, अफ्रीका में, लातिन अमेरिका में सैनिक हमलों से लेकर तख्तापलट करने की साजिशों, देश विशेष के अंदरूनी प्रतिक्रियावादी तत्वों को हथियारबंद करके विद्रोह भड़काने की साजिशों में लगे हुए हैं। इन युद्धों में साम्राज्यवादी अपनी लूट को बढ़ाने और अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। इजरायल फिलीस्तीन के गाजा पट्टी में महिलाओं व बच्चों की हत्या कर रहा है। यह सब अमेरिकी साम्राज्यवाद की शह पर हो रहा है। विश्व पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था जब से आर्थिक संकट में गई है उसका वित्तपतियों, सटोररियों को रियायत देने और उन्हें कर्ज के बोझ से उबारने में जनता के करों का पैसा लुटाने का अभियान जारी है और उसका सारा बोझ दुनियाभर के मेहनतकशों पर डाला जा रहा है। इन युद्धों और आर्थिक संकट के बोझ से व्यापक मेहनतकश आबादी का जीवन दूभर हो रहा है। हमारे देश की महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक तनावों का इससे घनिष्ठ संबंध है। यदि हमारे परिप्रेक्ष्य में साम्राज्यवादियों की दुनियाभर में लूटपाट और युद्ध की विभीषिका में लोगों को झोंकने के विरूद्ध संघर्ष नहीं आता और हम महज अपनी मांगों तक सीमित रखते हैं, ये मांगे और इनके लिए संघर्ष हमारे दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं बनते तो हम वास्तविक अर्थों में नारी मुक्ति आंदोलन को खड़ा नहीं कर सकते। यह वास्तविक नारी मुक्ति आंदोलन के समक्ष तीसरी चुनौती है।

यदि हमारा नारी मुक्ति आंदोलन आधुनिक पूंजीवादी परिवार के उत्पीड़नकारी स्वरूप के बारे में सही समझ नहीं स्थापित करता और नारी के घर के भीतर हो रहे उत्पीड़न के विरूद्ध संघर्ष नहीं करता, उसे किसी खास परिवार का निजी मामला मानता है तो यह सही मायने में नारी मुक्ति आंदोलन बनने की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। हजारों साल की पुरानी उत्पीड़नकारी व्यवस्था के मूल्यों से व्यापक नारी आबादी भी ग्रस्त है। यहां तक की नारी आंदोलन में सक्रिय महिलायें भी परिवार के उत्पीड़नकारी चरित्र के बारे में भ्रम में रहती हैं। मौजूदा परिवार नामक संस्था के उत्पीड़नकारी चरित्र के बारे में हम ऊपर कह चुके हैं और यह भी बता चुके हैं कि जब तक मौजूदा परिवार (के उत्पीड़नकारी चरित्र) से मुक्ति नहीं मिलती तब तक समाज में नारी मुक्ति वास्तविक अर्थों में नहीं हो सकती। मौजूदा परिवार नामक संस्था से मुक्ति का पहला कदम महिलाओं का आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना है। आर्थिक तौर पर आत्म निर्भर होते हुए भी परम्पराओं, रीतिरिवाजों और चलनों की ताकत महिलाओं को इस घेरे में बांधे रखती

है। इसलिए मौजूदा उत्पीड़नकारी परिवार से मुक्ति का सवाल वास्तविक नारी मुक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। उत्पीड़नकारी परिवार के खात्मे के लिए यह आवश्यक है कि पुरुष और महिला के बीच संबंध को बनाये रखने में प्रेम के अलावा और कोई अन्य कारक काम न करते हों। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि दोनों में से कोई भी एक–दूसरे पर आर्थिक तौर पर निर्भर न हो और किसी भी स्त्री को कभी भी अपना जीवन यापन करने के लिए किसी पुरुष के साथ रहने की मजबूरी न हो। अगर दोनों, स्त्री और पुरुष सामाजिक उत्पादन में हिस्सा लेते हैं तो फिर उत्पीड़नकारी परिवार का आधार कमजोर हो जाता है और उत्पीड़नकारी परिवार तो तभी समाप्त हो सकता है जब तमाम घरेलू काम– खाना बनाने, साफ–सफाई व बच्चों के लालन–पालन के काम– सार्वजनिक बना दिये जायें। नारी मुक्ति आंदोलन में लगे साथियों के समक्ष यह सवाल एक बड़ी चुनौती है। जब खुद अपने परिवार के भीतर इस उत्पीड़नकारी संस्था से मुक्ति के लिए संघर्ष नहीं करते तो व्यापक समाज में मौजूद उत्पीड़नकारी परिवार को समाप्त करने की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि पूंजीवाद के अंतर्गत यह समस्या कतई हल नहीं हो सकती। इसीलिए नारी मुक्ति आंदोलन और समाजवाद के लिए संघर्ष घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। यह आंदोलन की चौथी बड़ी चुनौती है।

नारी मुक्ति आंदोलन को जहां नारी उत्पीड़न के रोज–ब–रोज के मुद्दों पर संघर्ष करना है वहीं उसे नारी मुक्ति के लिए संघर्षरत क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं की कतार खड़ी करनी है। एक तरफ, वह व्यापक नारी आबादी को संगठित करने का प्रयास तो दूसरी तरफ आगे बढ़ी हुई नारियों को सचेत करने की और विकसित कर नारी आंदोलन की कार्यकर्ता व नेता बनाने की कोशिश। ये दोनों काम एक साथ करने हैं। यदि पहले पर ही जोर रहेगा तो यह वास्तविक अर्थों में नारी मुक्ति आंदोलन नहीं बन सकेगा। यह महज सुधारों के लिए लड़ने वाले संगठन में तब्दील हो जायेगा। यदि सिर्फ दूसरे पर जोर दिया जायेगा तो यह एक संकीर्ण पंथ में तब्दील हो जायेगा। इन दोहरे कार्यभारों को एक साथ पूरा करना नारी मुक्ति आंदोलन के समक्ष पांचवी बड़ी चुनौती है।

नारी मुक्ति आंदोलन वैसे तो महिलाओं के व्यापक हिस्सों को संगठित करने के लिए संघर्ष करेगा, लेकिन यदि उसे वास्तविक अर्थों में नारी मुक्ति आंदोलन को संगठित करना है तो उसे मजदूर महिलाओं के बीच अपने काम को केन्द्रित करना होगा। मजदूर महिलायें अतीत में भी समूचे नारी आंदोलन की रीढ़ रही हैं और आज भी ये महिलाओं का सबसे जुझारू, संगठित और अग्रगामी केन्द्रक बनेगा। मजदूर महिलायें ही पूंजी के साथ रिश्तों में सीधे जुड़ी होती है और पूंजी व श्रम के बीच के अंतरविरोध में सीधे खड़ी हैं। आज चाहे मजदूर महिलाओं के बीच काम करना कितना भी जटिल और दुरूह हो, लेकिन वास्तविक नारी मुक्ति आंदोलन इन्हीं के बीच से सशक्त होकर उभरेगा। इसी के साथ ही मजदूर आंदोलन के साथ नारी आंदोलन को घनिष्ठता के साथ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। नारी मुक्ति आंदोलन को सभी मेहनतकश लोगों के न्यायसंगत संघर्षों के साथ अपनी एकजुटता कायम करनी होगी। यह नारी आंदोलन के समक्ष छठी बड़ी चुनौती है।

आज जब साम्प्रदायिक शक्तियां उभार पर हैं और हिन्दुत्ववादी शक्तियां देश को साम्प्रदायिक फासीवाद की ओर ले जाना चाहती हैं तब ऐसी स्थिति में साम्प्रदायिक फासीवाद के बढ़ते खतरे के विरुद्ध संघर्ष करना और उसके लिए फासीवाद विरोधी शक्तियों के साथ संयुक्त मोर्चे की ओर बढ़ना, वास्तविक नारी मुक्ति आंदोलन के समक्ष सातवीं बड़ी चुनौती है।

संक्षेप में ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिनसे लड़कर ही वास्तविक नारी मुक्ति आंदोलन खैड़ा किया जा सकता है।

प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए संकल्पबद्ध है।

(24 अगस्त, 2014 को दिल्ली में 'महिला आंदोलन की चुनौतियां' विषय पर

आयोजित सेमिनार में प्रगतिशील महिला एकता केन्द्र द्वारा प्रस्तुत पत्र)